गंगापुर जिला भीलवाड़ा

7/9/2020 मिसल पेश। पेशकार सरकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित। पेशकार सरकार द्वारा दौराने बहस वास्तुस्थिति पत्र को पेश किया और निवेदन किया कि ग्राम कालाखेड़ा प. ह. शिवरती के आराजी नं. 312 रकबा 0.47 हे. किस्म बीड़ तथा आ. नं. 313 रकबा 0.25 हे. किस्म बारानी तृतीय श्रेणी राजस्व रिकार्ड के मिलान काबिल काश्त है। जिस पर बबूल के वृक्ष खड़े हैं जिनको अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के काट डाले हैं। जिस पर राजस्व कर्मचारियों को मौके पर भेजा जाकर वृक्षों को जप्त किया जाकर वृक्ष कटवाई बन्द करवाई गई।

यह है कि उक्त वर्णित 6 हरे वृक्ष जिनका अनुमानित वजन करीब लगभग 30-35 क्विंटल एवं अनुमानित कीमत 6000/- रुपये होती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:45:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
R.T.O.
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि पर खड़े वृक्ष जो राजकीय सम्पत्ति होकर अप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के काटे हैं जिससे अप्रार्थी का कृत्य रा. का. अधि. 1955 की धारा 84-86 के तहत नियमों के विपरीत है।

अतः निवेदन है कि अर्जी का जायजा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी पर अधिकतम शास्ति अधिरोपित की जावे एवं किये गये कृत्य की सख्त सजा फरमावें और साथ ही सिपुर्द किये गये वृक्षों की नीलामी करवाई जाकर राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश प्रदान फरमावें।

उक्तानुसार प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा उपस्थित होकर अपराध स्वीकार किया व अबोध व अज्ञानतावश नियमों की जानकारी नहीं होने से नियमानुसार दण्डित शास्ति राशि जमा करवाने हेतु निवेदन किया।

मैंने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उभयपक्ष की बहस पर एवं मौका पर्चा ILR रिपोर्ट का अवलोकन किया बाद अवलोकन [illegible] अधिनियम [illegible] धारा 84-86 का उल्लंघन विपक्षी द्वारा किये जाने से नियमानुसार शास्ति नहीं एवं काटे गये कुल 6 वृक्षों की नीलामी की जाकर राशि राजकोष में जमा करवाना यह न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:45:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उचित समझता हूँ अतएव -

-: आदेश :-

प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 84-86 RTA 1955 स्वीकार किया जाता है। धारा 86 अवैध रीति से हटाये जाने पर प्रति वृक्ष जुर्माना एक सौ रुपये के हिसाब से छः वृक्षों का जुर्माना बिगदी 600/- तहसीलदार सहाड़ा कोष बिगदी करे तहसीलदार सहाड़ा कोषस्थ राशि को जरिये चालान अथवा जरिये रसीद G.A-55 के राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया जाता है एवं साथ ही उक्त वृक्षों की नियमानुसार निलामी तहसीलदार सहाड़ा द्वारा करवाई जाकर निलामी से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाई जाकर पालना से अवगत कराने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 7/9/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। मिसल [illegible] नम्बर के कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:45:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner